राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 80/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 08.01.2018 निर्णय दिनांक : 15.02.2018

राजस्थान सरकार बनाम रामदेव पुत्र गीगाराम जाति गुर्जर नि0 हरियाजून

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारायणपुरा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्ररतुत कर निवेदन किया कि रामदेव पुत्र गीगाराम जाति गुर्जर निवासी हरियाजून नें ग्राम हरियाजून के खसरा नम्बर 292 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर किस्म गै. मु. रास्ता भूमि में से रकबा 0.008 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2074 में कच्ची दीवार निकालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायल स्वय ने प्राप्त कि। गैर सायल उपस्थित हुआ तथा जवाब पेश कर कथन किया की जो अतिक्रमण था उस को हटा लिया गया है व नाप चोक चाह गया जिसका भू.अ. निरीक्षक द्वारा नाप चोक करवाया गया। जो कि वर्तमान में भी मौके पर अतिकमण पाया गया।

गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना --पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि गैर सायल ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है । एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम हरियाजून के आराजी राज खसरा नम्बर 292 कुल रकबा 0.66

तहसीलदार
तहसील कुचामन सिटी (नागौर)

P.O.T

हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि में से रकबा 0.008 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर लगान 0.04 का पच्चास गुणा से राशि 2/– अक्षरे दो रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
तहसीलदार कुचामन सिटी
त. जिला नागौर –राज0

माँग कायमी रा.ले.स.-4
कि.पृष्ठ संख्या 13
वर्ष 2017-18
रा.जुर्माना 2
क.निलामी –
गोचर जुर्माना –
प्रा.पैदावार –

तहसील कुचामन सिटी